

30/6/18

पकावली आम ईम्प कोर्ट उदयपुरवादी में पेश
हुई। वउलाय उपर। पकावली का अवलोकन
किया गया। विवादित भूमि की लेकर उभयपक्षों
के मध्य अजायब विवाद नहीं रहे। इसके
लिए प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा की वाद
पत्र के विस्तारण होने तक कन्फर्म किया जाता
है। पकावली फौजदारी अंश होकर गच्छर ए
कक हो तथा मूल वाद पत्र के साथ संलग्न रहे।

उपखण्ड
उदयपुरवादी